अतिआवश्यक
महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 10777/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 22/11/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ग्वालियर

विषयः—विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ''रामनरेश रावत (सुप्रा)'' निर्णय के अनुसार दिये गये स्थायी वर्गीकृत पद के न्यूनतम नियमित वेतनमान के लाभ के संबंध में वेतनमान संबंधी स्थिति को स्पष्ट करने विषयक।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अनुसार स्थायी वर्गीकृत पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया गया है, उनके द्वारा परिक्षेत्र स्तर पर यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उन्हें पद के नियमित स्थापना के वेतनमान के स्थान पर कार्यभारित स्थापना का वेतनमान प्रदान किया गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''रामनरेश रावत (सुप्रा)'' प्रकरण में पारित निर्णय के अनुरूप नहीं है।

इस संबंध में लेख है कि ''रामनरेश रावत (सुप्रा)'' प्रकरण में पारित निर्णय निम्नानुसार है :—

> 23) From the aforesaid, it follows that though a 'permanent employee' has right to receive pay in the graded pay-scale, at the same time, he would be getting only minimum of the said pay-scale with no increments. It is only the regularisation in service which would entail grant of increments etc. in the pay-scale

उक्त निर्णय में Graded pay-Scale या नियमित वेतनमान का उल्लेख है। नियमित वेतनमान से माननीय न्यायालय का आशय शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ऐसे वेतनमान से है जिसमें वेतनमान के सभी अंग मौजूद हों जैसे :— प्रारंभिक वेतनमान, वेतनवृद्धि तथा वेतनमान की अंतिम स्टेज का वेतनमान आदि।

उक्त दृष्टि से नियमित स्थापना और कार्यभारित स्थापना, दोनों ही स्थापना के कर्मचारियों को नियमित वेतनमान (Graded pay-Scale) प्राप्त होता है तथा कुछ पदों हेतु नियमित स्थापना एवं कार्यभारित स्थापना को देय वेतनमान अलग—अलग है। विभाग में कार्यरत अधिकांश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण भी कार्यभारित स्थापना में ही होता है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित वेतनमान का आशय किसी भी दृष्टि से नियमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारी को प्राप्त वेतनमान से नहीं है। अपितु यह कार्यभारित कर्मचारी को प्राप्त वेतनमान से भी संबंधित हो सकता है।

कृपया उक्तानुसार जानकारी से संबंधित दैनिक वेतन भोगी/कार्यभारित कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

21-11-2024
प्रमुख अभियंता

seema24